



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28072025-265009
CG-MH-E-28072025-265009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3365]
No. 3365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 24 जुलाई, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 3442(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी, “पुणे मंडल के पुणे दौंड सेक्शन के बीच रेलवे किमी 205/7-8 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 4, रेलवे किमी 224/4-5 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 9, रेलवे किमी 229/7-8 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 10, तथा लोनावाला-पुणे सेक्शन के बीच रेलवे किमी 137/9-10 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 38, रेलवे किमी 144/9-10 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 43 के बदले में आरओबी और आरयूबी के निर्माण “के लिए “विशेष रेलवे परियोजना” के तहत भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला के अंतर्गत स्तंभ (5) में उल्लिखित तालुका, के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या	मौजे	तालुका	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	उपजिलाअधिकारी भूसम्पादन क्र. 4, पुणे	4	कदमवाकवस्ती	हवेली	पुणे
(2)	उपजिलाअधिकारी भूसम्पादन क्र. 4, पुणे	9	तिलेकरवाडी	हवेली	पुणे
	उपविभागीय अधिकारी दौंड, जिला- पुणे	9	सहजपूरवाडी	दौंड	पुणे
(3)	उपविभागीय अधिकारी दौंड, जिला- पुणे	10	कामतवाडी और जावजे बुवाचिवाडी	दौंड	पुणे
(4)	उपजिलाअधिकारी भूसम्पादन क्र. 4, पुणे	38	बोरज, पाटण	मावल	पुणे
(5)	उपजिलाअधिकारी भूसम्पादन क्र. 4, पुणे	43	खडकले	मावल	पुणे

[फा. सं. G197/2025/RSP/ROBs & RUBs/July/7A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Mumbai, 24 July 2025

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3442(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Table below as the “**Competent Authority**” to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the “**Special Railway Project**” of “**Proposed construction of ROB & RUB in lieu of level crossing no. 4 at Railway Km 205/7-8, level crossing no. 9 at Railway Km 244/4-5, level crossing no. 10 at Railway Km 229/7-8 on Pune Daund section and level crossing no. 38 at Km. 137/9-10, level crossing no. 43 at Railway Km. 144/9-10 on Pune-Lonavala Section of Pune Division**” in the State of Maharashtra relating to Taluka mentioned in column (5) under District Pune of the said Table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Projects.

Table

Sr. No	Competent Authority	LC No.	Village	Taluka	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Deputy collector land acquisition no. 4 Pune	4	Kadamwakwasti	Havelli	Pune
2	Deputy collector land acquisition	9	Tilekarwadi	Havelli	Pune

	no. 4 Pune				
	Subdivisional officer Daund, District-Pune	9	Sahajpurwadi	Daund	Pune
3	Subdivisional officer Daund, District-Pune	10	Kamatwadi & Jawje Buwachiwadi	Daund	Pune
4	Deputy collector land acquisition no. 4 Pune	38	Boraj, Patan	Maval	Pune
5	Deputy collector land acquisition no. 4 Pune	43	Khadakale	Maval	Pune

[F. No. G197/2025/RSP/ROBs & RUBs/July/7A]
 AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)]